

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(RTI Section)

PUC is an Application/ Appeal from
_____ R/o _____
_____ which has been received
on _____ under the RTI Act, 2005

It

if approved we may forward

to

17/17

US (IT) Ashok Prasad

SO(RTI)

US(RTI)

फ.स.आई-1-34014/147/2017-आरटीआई

भारत सरकार

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

दिनांक- 22.06.2017

सेवा में,

श्री गोपीराम अग्रवाल, अध्यक्ष
राजस्थान ट्रायबल एरिया विकास समिति
बाँसवाडा, राजस्थान

O/o C. R. Section (RTH)

Dairy No. 1237.924/2017

Date 13/07/2017

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री गोपीराम अग्रवाल से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनांक 09.06.2017 जो की इस मंत्रालय मे दिनांक 19.06.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सूचना मांगे जाने के संबंध में है।

2. इस संबंध में यह देखा गया है कि आपके द्वारा भेजा गया अधपन्ना मान्य नहीं है निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि 'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है।

भवदीय

घनश्याम मीना

घनश्याम मीना

अनुभाग अधिकारी(आर.टी.आई)

श्रीमान श्री पोस्टल आर्डर 6पचा हलत्रा बेगान ए

Pl. Paid up
by RTI. app.

13/7

80/1417



* संभावनाओं का दोहन

—:लक्ष्य:—

* समस्याओं का समाधान

राजस्थान ट्रायबल एरिया विकास समिति, बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक—NH 019

दिनांक 09.06.2017

सेवामें,

माननीय मंत्री महोदय, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग
मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

विषय :- राजस्थान राज्य के परिवहन विभाग गुजरात राज्य के परिवहन विभाग से
सीख लेकर भारी वाहनों के ओवरलोडिंग से हो रही जनहानि को रोकने
बाबत।

मान्यवर,

राजस्थान राज्य की सड़को पर 90 प्रतिशत भारी वाहन ओवरलोड लेकर चल रहे हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात ने प्रमुख सड़क मार्गों पर भारी वाहनों को तोलने हेतु कांटे लगा दिये हैं और इन कांटो को कम्प्युटर द्वारा गांधीनगर के मुख्यालय से जोड़ दिये हैं और जिस वाहन में भी ओवरलोड होता है। उस वाहन से प्रति किलोग्राम जुर्माना लिया जा रहा है। इस कारण से गुजरात राज्य में वाहनों के ओवरलोड की समस्या का निदान हुआ है और जुर्माने से राज्य के खजाने में आमदनी भी बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है।

दिनांक 08.06.2017 को राजस्थान राज्य जयपुर से प्रकाशित दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर ओवरलोड वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के समाचार प्रकाशित हुए हैं जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

आपसे प्रार्थना है कि वाहनो के ओवरलोड पर निर्धारित अवधि में राज्य सरकार के परिवहन विभाग को प्रेरित करने की कृपा करें।

प्रार्थी,

(गोपीराम अग्रवाल, अध्यक्ष)

मो.नंबर 9414102112

Email ID gopiramagrawal@yahoo.co.in



RTI

490

F.S.O (RTI)
19/6/17

Decision is
US (RTI) on
19/6/17

Recd. only
Council bill of IPO
Pl. do it's need

19/06
6/RTI

Sh-n-m.

19/06/17

:: 2 ::

there has been no interference whatsoever of the Government with the affairs of this temple at any point of time in the past and, it was in the year 1975 that the petitioner had applied for the registration of this temple as a Public Trust before the Assistant Commissioner, Devasthan Department, Government of Rajasthan, Jaipur. Notice of this application was issued by the Assistant Commissioner of the Devasthan Department and the same was published in the news-papers in February, 1975 and objection were invited against the same. No objections whatsoever were filed on behalf of the Government of Rajasthan, or anybody else except by the Foreman of the Archeology Department, Government of India because the fort was under the control of the Archeology Department. It was given out by Shri Mehta that the objection which was filed by Jagat Prakash, Upadhyaya, as was received by the Devasthan Department on 22nd April, 1975, had already been rejected as being time-barred. The petitioner had filed several documents in support of his application for registration as a public trust. After considering all these documents, the Asstt. Commissioner, Devasthan Department took the view that so far as the rights of Archeology Department over the fort were concerned, the same would remain intact but this temple which was within the fort was a public trust and the same should be registered under Sec. 19 of the Rajasthan Public Trust Act, 1959 and, it was ordered that the certificate to this effect may be issued under the provisions of the Act and Rule 19 of the Rules made under the Act. No functionary of the Government of Rajasthan preferred any appeal against the said order dated 9th May, 1975, passed by the Asstt. Commissioner, Devasthan Deptt.,

M. R. G. G.



dainikbhaskar.com

राजस्थान, बुधवार, 7 जून 2017

पृष्ठ संख्या: 13, 2074

13 शब्द | 67 संस्करण

दैनिक भास्कर

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अखबार

देश	+1800 301
राज्य	+9111
शहर	+907
मोबा	+90000
वार्ड	+20000
दूर	40,800

दैनिक भास्कर
जीएसटी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब है सिर्फ 1 मिनट का वीडियो
आपको सिर्फ यह करना है-
7030001040
एन एनएनएन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी समस्याएं एक मिनट में हल हो जाएंगी।
हर दिन के लिए एक नंबर दे रहे हैं।
7030001040

आपको जवाब देते हैं सिर्फ 1 मिनट में
आपको जवाब देते हैं सिर्फ 1 मिनट में।
आपको जवाब देते हैं सिर्फ 1 मिनट में।
आपको जवाब देते हैं सिर्फ 1 मिनट में।

8% रहेगा मानसून : मौसम विभाग
दिल्ली। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल मानसून के दौरान औसतन 98 जोसटडी वर्षा होने का अनुमान है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल की तुलना में औसतन 98% वर्षा का अनुमान है।
मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल मानसून के दौरान औसतन 98 जोसटडी वर्षा होने का अनुमान है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल की तुलना में औसतन 98% वर्षा का अनुमान है।

चौमू हाउस सर्किल पर सुबह 4 बजे हादसा, सभी जौहरी परिवार से हांगकांग में ज्वैलरी का काम करती था राहुल, 19 नवंबर को भी रोशनी से शायद

राजपुर। शहर में चौमू हाउस सर्किल पर सोमवार सुबह चार बजे दसवां हादसा हुआ। 47 टन वजन के कस्टोमर के साथ एक ट्रेलर के बीच टक्कर का कारण शहर में सड़क चौकड़ हो गई।
राजपुर। शहर में चौमू हाउस सर्किल पर सोमवार सुबह चार बजे दसवां हादसा हुआ। 47 टन वजन के कस्टोमर के साथ एक ट्रेलर के बीच टक्कर का कारण शहर में सड़क चौकड़ हो गई।

राजपुर। शहर में चौमू हाउस सर्किल पर सोमवार सुबह चार बजे दसवां हादसा हुआ। 47 टन वजन के कस्टोमर के साथ एक ट्रेलर के बीच टक्कर का कारण शहर में सड़क चौकड़ हो गई।

मंजेतर, उसकी बहन, भतीजी-भतीजी को ले जा रहे दूधक की कार पर ट्रौला पलटा, पांटों की मौत



नामक बना काफन पतला बनी कार में बुरी तरह फंसे शव, आधा किमी दूर ले जाकर निका
राजपुर। शहर में चौमू हाउस सर्किल पर सोमवार सुबह चार बजे दसवां हादसा हुआ। 47 टन वजन के कस्टोमर के साथ एक ट्रेलर के बीच टक्कर का कारण शहर में सड़क चौकड़ हो गई।

पता ही नहीं था कार भी दबी है, कस्टोमर हटाए तो बाँके
राजपुर। शहर में चौमू हाउस सर्किल पर सोमवार सुबह चार बजे दसवां हादसा हुआ। 47 टन वजन के कस्टोमर के साथ एक ट्रेलर के बीच टक्कर का कारण शहर में सड़क चौकड़ हो गई।

दूधक की कार में बुरी तरह फंसे शव, आधा किमी दूर ले जाकर निका
राजपुर। शहर में चौमू हाउस सर्किल पर सोमवार सुबह चार बजे दसवां हादसा हुआ। 47 टन वजन के कस्टोमर के साथ एक ट्रेलर के बीच टक्कर का कारण शहर में सड़क चौकड़ हो गई।



दूधक की कार में बुरी तरह फंसे शव, आधा किमी दूर ले जाकर निका
राजपुर। शहर में चौमू हाउस सर्किल पर सोमवार सुबह चार बजे दसवां हादसा हुआ। 47 टन वजन के कस्टोमर के साथ एक ट्रेलर के बीच टक्कर का कारण शहर में सड़क चौकड़ हो गई।

दूधक की कार में बुरी तरह फंसे शव, आधा किमी दूर ले जाकर निका
राजपुर। शहर में चौमू हाउस सर्किल पर सोमवार सुबह चार बजे दसवां हादसा हुआ। 47 टन वजन के कस्टोमर के साथ एक ट्रेलर के बीच टक्कर का कारण शहर में सड़क चौकड़ हो गई।

Jaipur Division, Jaipur. But the Superintendent of the Archeology Department preferred an appeal against the said order dated 9th May, 1975 before the Commissioner, Devasthan Department under Sec. 20 of the Rajasthan Public Trust Act, 1959. The Inspector of the Devasthan Department had filed an application under Sec. 24 before the Assistant Commissioner seeking to get the issue of registration re-opened. Notice of this application filed by the Inspector, Devasthan Department was given to the petitioner, but later on after hearing the petitioner, the said notice was discharged on 9th July, 1979 in File No. 58/1979 by the Assistant Commissioner, Devasthan Department, Government of Rajasthan with the mention that as and when any material is collected for the purpose of taking any action afresh under Sec. 24 of the Act, the matter may be revived. However, no further proceedings were taken or initiated in this regard and the matter remained as it was. Thus, the order with regard to the registration of the said temple as a public trust under Sec. 19 of the Act remained intact and remained subject to the decision of the appeal only which has been filed by the Superintendent, Archeology Department. It has been contended by Shri Mehta on behalf of the petitioner that the report of the Devasthan Department which has been prepared upto the year 1978-79 did not include this temple as a Government temple and it was only during the pendency of the appeal preferred by the Superintendent, Archeology Department that for the first time in the report of the Devasthan Department, for the year 1979-80, dated 31st May, 1980 that this temple was shown as a Government temple and that too without any material for the same and the Commissioner, Devasthan Department while deciding the appeal proceeded to place

[Handwritten signature]

2016 • क्रिया से देश को
₹ 1,803
अरब बर्बाद हुए

राजस्थान पत्रिका

8.65%
ने यह रकम देश को
मुक्त आंदोलन का

बर्बादी में डूबापना
₹ 272 अरब बर्बाद हुए थे 2015
जेठेकर से श्रमक की हताहत से
₹ 1157 फिगर अरब थी 2014
ने यह रकम

42%
कम नीति
4 साल में

104
जवानों
जान बचाकर
श्रीमती ने
2012 के दौरान

60
सुभाष चंद्र
अवधि की
हई साल
2016 में

बर्बादी सुरक्षा यात्रा
₹ 0127 अरब आंदोलन फिर 2014-15
ने अर्थव्यवस्था के विकास
अरब बर्बाद थे 2017-
18 के लिए, सरकार ने

10%
इसका कुछ है
किसी-किसी
की रचना में

03
अरब देशी अर्थव्यवस्था,
तीन अरब रूपये ने से
बर्बाद अरब जवानों
की सुरक्षा इत
केवल



6 बार पदोन्नत

राजधानी की सड़क फिर हुई लाल... तेज रफ्तार और ओवरलोडेड वाहन ने फिर लील ली जाने नमक से अरा दौला पलटा, सीधा कर कट्टे हटार तो दबी थी कार, निकलने 5 शव

घंटों तक पता ही नहीं चला दबी है कार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर • राजधानी में चौक हाइवे सड़क के पास मंगलवार राहुक के ओवरलोडेड ट्रैला फलट गया सुनने में हाइवे ओपन लगे लेकिन कम पुलिस ने फेलाहीस टन बकनी ट्रेलर को रींग किना और नमक के कट्टे हटार तो रान्ग व गण ट्रेलर और सकेस नमक के नीचे एक कार

दबी हुई थी। पूरा तरह से निचक चुकी कार में चला लोगों के जल नुती तरह फंसे थे।

हालत ऐसे थे कि सबसे सही ही पुलिस को कार केन से उतानी पड़ी। सभी मुक्त जयपुर के हैं। मुक्तों में तस्वीरगणपुत्री सुरजवाला गलतोट निवासी केशव

धर्म अके रहिल (25), मास्वीरगण (26), उस्सकी बडी बहन ज्योति (32), अर्बती शर्मा (18), उस्सकी भाई निशिशा शर्मा (20) हैं।

कट्टे हटार तो खुद पुलिसकर्मी भी मंजर देख सज्ज पद गार

330

घरें सुख उला
सुन देख
बाइरवाड के
किरा रकम हुए
दे तले

4.00

बो मोन बलाकर
अर ट्रेलर के
पुलने कार को
टोकन गरी
फिर वरा किना



नवंबर में थी शादी

ट्रुलर को एक मक पूरे ट्रेलरों से रगाई हुई थी अंशुव ने छादी थी। ज्योति गोपाल खरी है। 4-5 दिन पहले ही कर जायपुर आई थी। पानी जगना ग्रेड डेखल बाइरवाड के लिए शर 3.20 बजे कार से रकना हुए।

बेकाबू हो पलटा

कार शुरुत चला रहा था। पत्रके 4 बजे चौक फलट सकिना पर कहेते ही आणव की ओर जा रहे ट्रेलर ने कार को टक्कर मर दी। यालक निरुपम यो हैला और ट्रेलर कार पर फलट रशा। ट्रेलर टक्कर फलट हो गया।

परयों से भरे

उम्पर ने
जवान को
कुचला

किराई, सिकेगाण की ओर जा रहे ट्रेलरों से भरे उम्पर को रोडवाज सारवासर को एक पुलिसकर्मी को बडी एड गोपा उम्पर वास्तुक दले ट्रेलर ग्रेड किस्कर जगा। उस्सकी मेके पर मोन हो गई। गोरक पुलिसकर्मी गलतजन की सुगार को रकनीय समान दे अंशुव की जापगी।



फ.स.आई-1-34014/147/2017-आरटीआई

भारत सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

दिनांक- 22.06.2017

सेवा में,

श्री गोपीराम अग्रवाल, अध्यक्ष
राजस्थान ट्रायबल एरिया विकास समिति
बाँसवाडा, राजस्थान

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री गोपीराम अग्रवाल से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनांक 09.06.2017 जो की इस मंत्रालय मे दिनांक 19.06.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सुचना मांगे जाने के संबध में है।

2. इस संबध में यह देखा गया है कि आपके द्वारा भेजा गया अधपन्ना मान्य नहीं है निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि 'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, को देय 10 रु0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है।

भवदीय

घनश्याम मीना

घनश्याम मीना
अनुभाग अधिकारी(आर.टी.आई)

अधपत्रा COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept
by the Sender.

पोस्टल आर्डर

₹ 10

POSTAL ORDER

किसे अदा करना
To whom payable _____

किस डाकघर में
At what Office _____

क्या इसे काट लिया है
Whether crossed _____

भेजने की तारीख
Date sent _____

35F 610024

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
TRANSPORT BHAVAN, 1 PARLIAMENT STREET
NEW DELHI - 110001

Receipt No.

5173

Dated 14/7/12

Received RTI Application dated.....

from Sh. Smt. / Mr. Kopiam Agarwal

along with application fee of Rs. 10/- (Rupees Ten

only) / Fee of Rs. (Rupees)

only) for providing information under RTI Act 2005 in

Cash / Demand Draft / Cheque / IPO No. ✓ 35F 053540

Dated

Signature / Receipt Official (IFC)